नवीन लिस्टिंग प्रणाली – अंतिम सुनवाई (Final Hearing) के मामलों की प्राथमिकताओं पर आधारित शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था

नवीन लिस्टिंग प्रणाली के अंतर्गत अंतिम सुनवाई के मामले आवंटित प्राथमिकताओं के अनुरूप दिये गये वर्ग में सूचीबद्ध हो रहे हैं। यदि अंतिम सुनवाई योग्य कोई मामला दो या अधिक प्राथमिकता वर्गों के अंतर्गत आता है तो वह सी.आई.एम.एस. सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही उस वर्ग के अंतर्गत शामिल होगा, जहाँ उसे शीघ्र सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त होगी। इस प्रकार नवीन लिस्टिंग प्रणाली में अंतिम सुनवाई के मामलों के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती गई है, जिससे वे उपलब्ध सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ग में सुने जायेंगे।

मुख्यपीठ जबलपुर में **दिनांक 10/02/2015** की स्थिति में लंबित मामलों में प्राथमिकता आधारित वर्गीकरण से निर्धारित की गई स्थिति की प्रभावशीलता को निम्न तीन दृष्टांतों से समझा जा सकता है :–

1. **प्रकरण क्र. S.A. 732/2013 (प्रस्तुति दिनांक 14.08.2013)**

Sr. No.	Priority Category of cases	Sr.No. in category
1	GENERAL (as per date of Institution)	75439
2	SB	56478
3	SB > CIVIL	15747
4	CASES OF SENIOR CITIZEN	4423
5	SB > CIVIL > SA	4081
6	HIGH COURT EXPEDITED	1663
7	SB > CIVIL > SA > CASES OF SENIOR CITIZEN	963
8	SB > CIVIL > SA > HIGH COURT EXPEDITED	178
9	CASES OF SENIOR CITIZEN (MORE THAN 75 YEARS)	34
10	SB > CIVIL > SA > CASES OF SENIOR CITIZEN (MORE THAN 75 YEARS)	10

उपरोक्तानुसार यह प्रकरण 10 वर्गों में आता है। जहाँ यह प्रकरण बिना किसी प्राथमिकता के **सामान्य क्रम संख्या 75439** पर सूचीबद्ध होकर कई वर्ष बाद निराकृत होता वहीं अब इसका निराकरण **सर्वोच्च प्राथमिकता के वर्ग "SB > CIVIL > SA > CASES OF SENIOR CITIZEN (MORE THAN 75 YEARS)" की क्रम संख्या 10** पर होने से शीघ्र हो सकेगा, जबकि यह प्रकरण वर्ष 2013 में ही प्रस्तुत किया गया है।

2. **प्रकरण क्र. W.P. 21670/2013 (प्रस्तुति दिनांक 16.12.2013)**

Sr. No.	Priority Category of cases	Sr.No. in category
1	GENERAL (as per date of Institution)	77965
2	SB	58184
3	SB >WRIT(CIVIL)	13200
4	SB >WRIT(CIVIL)>WP	12092
5	SERVICE MATTER	3488
6	SB >WRIT(CIVIL)>WP>SERVICE MATTER	2889
7	HIGH COURT EXPEDITED	1774
8	SB >WRIT(CIVIL)>WP>HIGH COURT EXPEDITED	589
9	SUPREME COURT EXPEDITED	46
10	SB >WRIT(CIVIL)>WP>SUPREME COURT EXPEDITED	9

उपरोक्तानुसार यह प्रकरण भी 10 वर्गों में आता है। जहाँ यह प्रकरण बिना किसी प्राथमिकता के **सामान्य क्रम संख्या 77965** पर सूचीबद्ध होकर कई वर्ष बाद निराकृत होता वहीं अब इसका निराकरण **सर्वोच्च प्राथमिकता के वर्ग "SB >WRIT(CIVIL)>WP>SUPREME COURT EXPEDITED" की क्रम संख्या 9 पर** होने से शीघ्र हो सकेगा, जबकि यह प्रकरण वर्ष 2013 में ही प्रस्तुत किया गया है।

3. **प्रकरण क्र. WP 1201/2001 (प्रस्तुति दिनांक 07.03.2001)**

Sr. No.	Priority Category of cases	Sr.No. in category
1	GENERAL (as per date of Institution)	10118
2	SB	7231
3	CASES MORE THAN TEN YEAR OLD	5442
4	CASES OF SENIOR CITIZEN	942
5	SB >WRIT(CIVIL)	197
6	SB >WRIT(CIVIL)>WP	191
7	SB >WRIT(CIVIL)>WP>CASES MORE THAN TEN YEAR OLD	96
8	SB >WRIT(CIVIL)>WP>CASES OF SENIOR CITIZEN	2

उपरोक्तानुसार यह प्रकरण भी 8 वर्गों के अंतर्गत आता है। जहाँ यह प्रकरण बिना किसी प्राथमिकता के **सामान्य क्रम संख्या 10118** पर सूचीबद्ध होकर कुछ वर्ष बाद निराकृत होता वहीं अब इसका निराकरण **सर्वोच्च प्राथमिकता के वर्ग "SB >WRIT(CIVIL)>WP>CASES OF SENIOR CITIZEN" की क्रम संख्या 2** पर होने से शीघ्र हो सकेगा।

उपरोक्त दृष्टांतों से यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट है किस प्रकार अंतिम सुनवाई हेतु लंबित मामले स्वतः ही **सी.आई.एम.एस. सॉफ्टवेयर से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के** वास्तविक समय पर उपलब्ध प्राथमिकताओं के अंतर्गत जैसे ही उनकी प्राथमिकता का वर्ग बढ़ता है वे उसी अनुरूप उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर लेते है, **जो इस प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही की विशेषताओं को दर्शाता है।**

10.02.15

रजिस्ट्रार जनरल

म.प्र. उच्च न्यायालय